

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राजखड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) इफ्तारी

पीठासीन अधिकारी

देवीसिंह
उपरवण्ड अधिकारी राजखड़ा

1- चमेली पत्नी जगदीश जी
डाकूर निवासी इफ्तारी वादिया

उपवाक 1- तुलाराम
बनाम 2- शिवचरण
3- कामेश्वर
4- राजेश्वर
पिम्पान नजी साहू
जाई उपापार् (कम्प्लेक्स)
निवासी ग्राम इफ्तारी
रामेश्वर
डाकूर निवासी इफ्तारी

दावा बाबत बन्वारा काड़ा
मुकदमा नम्बर :- 40/2021
निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादों की ओर से वादिया चमेली की व प्रतिवादी की ओर से तुलाराम
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को देवीसिंह (नाम पीठासीन अधिकारी) R.O.S
उपखण्ड अधिकारी, राजखड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

शुद्ध वादिया मुताबिक बिना जून प्रस्ताव इस प्रकार के डायरी
केप से डिक्री किया जा चुका है कि बिना डायरी नम्बर 4193/479/1 रकम
0.1445 ईक्वेट डायरी नम्बर 4193/479/1 रकम इफ्तारी वादिया चमेली पत्नी जगदीश
जाई डाकूर निवासी इफ्तारी वादिया नम्बर 4193/479 रकम
0.3614 ईक्वेट डायरी नम्बर 4193/479/1 रकम इफ्तारी वादिया नम्बर 4193/479/1 रकम
रामेश्वर इफ्तारी वादिया नम्बर 4193/479/1 रकम इफ्तारी वादिया नम्बर 4193/479/1 रकम
वादिना नम्बर 4193/479/1 रकम इफ्तारी वादिया नम्बर 4193/479/1 रकम इफ्तारी वादिया नम्बर 4193/479/1 रकम
खर्चा पक्षिकारान अपना-अपना वहन करेगा।

यह आज तारीख 23-12-2021 को भरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

उपखण्ड अधिकारी
राजाखड़ा (धौलपुर)
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादिया	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. वादिया के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. वादिया के लिए स्टाम्प		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. वादिया के लिए स्टाम्प		आदेशिका को लागू	
6. कामिशनर की फीस		कमिशनर की फीस	
7. आदेशिका की शामिल			
जोड़		जोड़	